राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2915/2024

सुनीता कुमारी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय, बानसूर, कोटपूतली–बहरोड।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.09.2024
आदेश की दिनांक : 10.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रयोगशाला सहायक के पद पर स्वामी विवेकानन्द राजकीय आदर्श विद्यालय, बानसूर, कोटपूतली, बहरोड में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 07.09.2024 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुये जिला शिक्षा अधिकारी, करौली के लिये कार्यमुक्त किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23.07.2018 के द्वारा नियमों के आधार पर उक्त वर्तमान स्थान पर प्रतिनियुक्ति के तहत पदस्थापित किया गया, जिसमें अपीलार्थी ने दिनांक 02.08.2018 को कार्यग्रहण किया। उनका कथन है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि बिना निदेशक की सहमति के कार्मिक की प्रतिनियुक्ति अथवा कार्यमुक्त नहीं किया जावे, परंतु अपीलार्थी को आलोच्य आदेश

के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 09.09.2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु राजस्थान सेवा नियमों के नियम 25ए के विरूद्ध विपरीत जाकर अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया। जबकि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.01.2023 एवं 15.01.2023 के द्वारा स्थानांतरणों आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, परंतु फिर भी अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है, जो नियम एवं निर्देशों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.09.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को निरंतर यथा स्थान कार्य करने दिये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को नियम 25ए बिंदु संख्या 2 जिसमें *''ऑन रिवर्सन टू पेरेंट डिपार्टमेंट फोरम डेपुटेशन विद इन इंडिया''* स्पष्टतया अपीलार्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 144क के तहत प्रतिनियुक्त किया गया था और कार्यकाल पूर्ण होने उपरांत अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर पदस्थापन किये जाने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय करौली हेतु कार्यमुक्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्रयोगशाला सहायक के पद पर स्वामी विवेकानन्द राजकीय आदर्श विद्यालय, बानसूर, कोटपूतली, बहरोड में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 07.09.2024 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुये जिला शिक्षा अधिकारी, करौली के लिये कार्यमुक्त किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 23.07.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 144क के तहत एक वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया और प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने पश्चात् आलोच्य आदेश दिनांक 07.09.2024 के

द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त करते हुये आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है और जहां तक नियम 25ए के विरूद्ध कार्यमुक्त आदेश जारी किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 25ए के बिंदु संख्या 2 जिसमें *''ऑन रिवर्सन टू पेरेंट डिपार्टमेंट फोरम डेपुटेशन विद इन इंडिया''* इस प्रकार अपीलार्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 144क के तहत प्रतिनियुक्त किया गया था और कार्यकाल पूर्ण उपरांत अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर पदस्थापन किये जाने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय करौली हेतु कार्यमुक्त किया गया है। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य